#### न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—99 / 2012 संस्थित दिनांक—16.02.2012 फाई. क.234503006502012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

. – – –अ<u>भियोजन</u>

// विरुद्ध //

गिरमेश उर्फ गिरवेश पिता स्यालसिंह पटले, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरिया थाना बिरसा जिला बालाघाट।

– – – –<u>आरोपी</u>

# // <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक 13/03/2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 03.01.2012 समय 05:00 बजे शाम स्थान चांदनी चौक मंडई थाना बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोकमार्ग है पर वाहन मोटरसायिकल क्रमांक एम.पी. 50एम.ई.1031 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत पन्नालाल को टक्कर मारकर उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को वैध अनुज्ञप्ति के बिना चलाया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आर.एस. सिंगरौरे थाना बिरसा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 03.01.2012 को अस्पताल तहरीर जांच सी.एच.सी. बिरसा में किया। जांच दौरान आहत पन्नालाल का मुलाहिजा कराया एवं गवाह दुर्गासिंह, सुशील, शंकर के कथन लिये गये। जिन्होंने अपने कथन में बताया कि दिनांक 03.01.2012 के

करीबन 05:00 बजे चांदनी चौक मंडई में मुर्तजरर पन्नालाल पवार को मोटर सायिकल कमांक एम.पी.50एम.ई.1031 के चालक गिरमेस पटले द्वारा तेज लापरवाही से मोटर सायिकल चलाकर सामने से टक्कर मार कर एक्सीडेंट कर चोट पहुंचाया है। जांच पर अपराध धारा— 279, 337 ता.हि. का पाये जाने से अपराध कायम किया गया। अस्पताल तहरीर से अपराध कायम कर विवेचना की गयी। बयान गवाहन, निरीक्षण घटना स्थल, जप्ती मोटर सायिकल, मुर्तजरर मुलाहिजा, एक्स—रे रिपोर्ट से आरोपी के खिलाफ अपराध धारा का सिद्ध पाये जाने से गिरफ्तार कर रिहा जमानत मुचलके पर किया गया। जप्ती मोटर सायिकल न्यायालय के आदेश से सुपुर्दनामे पर है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के खिलाफ अभियोजग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

## 04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

- 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 03.01.2012 समय 05:00 बजे शाम स्थान चांदनी चौकी मंडई थाना बिरसा तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोकमार्ग है पर वाहन मोटरसायिकल क्रमांक एम.पी.50एम.ई. 1031 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत पन्नालाल को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को वैध अनुज्ञप्ति के बिना चलाया ?

# <u> - विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

## विचारणीय प्रश्न कमांक-01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

साक्षी पन्नालाल अ.सा.०२ ने कथन किया है कि वह आरोपी 05-गिरमेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी शाम के 05:00 बजे की है। वह और रूपसिंह दोनों सायकिल में बैठकर जगला से मण्डई बाजार गये थे। बाजार से वापस घर आते समय गिरमेश ने अपनी मोटर सायकिल को तेज गति से चलाकर उसकी सायकिल को टक्कर मार दिया था, जिससे वह लोग गिर गये थे और उसके नाक के उपर चोट लगी थी। उसका मुलाहिजा पुलिस वालों ने करवाये थे। घटना के संबंध में पुलिस वालों ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी उसके गांव तरफ का है, इसलिये जानता है, उसे घटना की तारीख याद नहीं है, वह लोग मण्डई बाजार से वापस जा रहे थे और आरोपी मण्डई बाजार की ओर जा रहा था. दोनों अपने-अपने साईड से जा रहे थे, किन्तू साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह अनबेलेंस होकर गिर गये थे, जिससे चोट आयी थी। उसने पुलिस को अपने कथन देते समय बता दिया था कि आरोपी गाडी को तेजी से चला रहा था। उसने पुलिस को आरोपी के गाड़ी का नंबर लिख कर दिया था और बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। साक्षी के अनुसार पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उससे पूछताछ की थी एवं उसका ईलाज भी करवाये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने क्लेम पेश करने के लिए झूठा प्रकरण बनवाया है, इसलिये न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

- 06— साक्षी रूपसिंह अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी गिरमेश एवं आहत पन्नालाल को भी जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पूर्व शाम के 05:00 बजे की है। वह और पन्नालाल दोनों सायिकल में बैठकर जगला से मंडई बाजार गये थे। आरोपी गिरमेश ने अपनी गाड़ी मोटर सायिकल को लहराते हुये लाया और उनकी सायिकल को टक्कर मार दिया था, जिससे उनकी सायिकल का चक्का उसकी गाड़ी में फंस गया था और वह लोग गिर गये, जिससे उसके सिर के पीछे भाग पर एवं पन्नालाल की नाक के उपर स्पोक गढ़ गया था। आहत पन्नालाल का प्राथमिक उपचार बिरसा में हुआ था, उसके बाद अग्रिम ईलाज हेतु बालाघाट ले गये थे। मोटरसायिकल चालक एक्सीडेंट करके भाग गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था। उसके समक्ष पुलिस ने मौका—नक्शा प्रपी—01 तैयार किया था।
- 07— साक्षी रूपिसंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना एक साल से एक दो माह अधिक की है, उसे घटना की तारीख याद नहीं है, आरोपी मंडई बाजार की ओर जा रहा था और वह बाजार से घर की ओर जा रहे थे रास्ते में तालाब के पास मोड़ है, जिससे अनबेलेंस होकर गिर गये थे, आरोपी भी अनबेलेंस होकर गिर गर गया था, गिरने के कारण चोट आई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने घटना के संबंध में बयान नहीं लिये थे। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर उससे पूछताछ किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने घटनास्थल का मौका—नक्शा तैयार किये थे और हस्ताक्षर करने के लिये बोले तो हस्ताक्षर कर दिया था।
- 08— साक्षी दुर्गासिंह अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह आहत पन्नालाल को भी जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले की है। वह मंडई बाजार करने गया था। वह वहाँ से शाम के समय अपने घर वापस जा रहा था, तब रास्ते में चांदनी चौक

के पास पन्नालाल अपने रास्ते से जा रहा था। दुर्घटना होते हुये उसने नहीं देखी था। दुर्घटना किस वाहन से हुई उसे इसकी भी जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

- 09— साक्षी दुर्गासिंह अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को पन्नालाल चांदनी चौक मंडई से ग्राम जगला सायकिल से जा रहा था, आरोपी गिरमेश द्वारा अपनी मोटरसायकिल कमांक एम.पी.50एम.ई.1031 को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सामने से टक्कर मार दी थी, पन्नालाल को आरोपी द्वारा मोटर सायकिल से टक्कर मारने से सिर एवं शरीर पर चोटे आई थी, उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गये थे, वह आज आरोपी से मिल गया है, इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत उसके गांव का है एवं आरोपी पड़ोसी गांव का है, इसलिये वह उन्हें जानता है, घटना किस दिनांक, किस समय की है वह नहीं बता सकता तथा उसने दुर्घटना होते हुये नहीं देखा था।
- 10— साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.01.2012 को सी.एच.सी बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक तहरीर टी.आई. बिरसा को भेजी गई थी, जो प्र.पी.05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तहरीर में लेख है कि आहत पन्नालाल पिता हगरूलाल को चोटिल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसे रोड एक्सीडेंट से चोटें आई थी। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक नजरू कमांक 1072 द्वारा आहत पन्नालाल पिता हगरूसिंह, उम्र—40 वर्ष, निवासी जगला को लाने पर उसके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था।

फाईलिंग क.23450300652012

11— साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.05 के अनुसार उसने परीक्षण करने पर निम्न चोटें होना पाया था, जिसमें चोट कमांक—01 बाई भौं पर एक कटी—फटी चोट, जो कि दो इंच गुणा आधा इंच गुणा आधा इंच था, चोट कमांक—02 माथे के मध्य भाग पर एक कटी—फटी चोट, जो कि दो इंच गुणा पौन इंच गुणा एक बटा चार इंच था, चोट कमांक—03 बाई आंख के नीचे एक सूजन, जो कि 02 इंच गुणा 02 इंच था, चोट कमांक—03 दाहिनी आंख के नीचे एक सूजन, जो कि 04 इंच गुणा 02 इंच था, चोट कमांक—05 दाहिने घुटने पर एक खरोंच, जो कि पौन इंच गुणा पौन इंच था, चोट कमांक—06 दाहिने घुटने के बाहर की तरफ एक खरोंच, जो कि आधा इंच गुणा आधा इंच था एवं चोट कमांक—07 बांये पैर के अंगुठे पर एक खरोंच, जो कि आधा इंच गुणा आधा इंच था होना पाया था।

साक्षी डाँ० एम. मेश्राम अ.सा.05 के अनुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़ें एवं बोथरे एवं खुरदुरे वस्तु से आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 05, 06 एवं 07 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट क्रमांक 01 से 04 में हेड इंजूरी की संभावना को देखते हुए एक्स—रे, उपचार तथा अभिमत हेतु मेडिकल एवं सर्जीकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट की ओर रिफर किया गया था। उक्त सभी चोटें उसके जांच के 02 घंटे के मध्य की थी। चोट क्रमांक 05 से 07 को ठीक होने में 05 से 07 दिन का समय लग सकता था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आहत पन्नालाल की ईलाज की पर्ची प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त चोटें कड़े एवं खुरदुरे वस्तु पर गिरने से आ सकती है, किन्तु बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि चोट क्रमांक 01 से 07 में पुरानी चोटें भी थी, उसके द्वारा चोटों का विवरण आहत के कथन अनुसार दिया गया है।

- साक्षी आर.एस. सिंगरोरे अ.सा.०४ ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.01.2012 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल बिरसा से अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर जांच उपरांत उसके द्वारा अपराध क्रमांक 01/12 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. का पंजीबद्ध किया था, जो प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आहत पन्नालाल का मुलाहिजा करवाया गया था। दिनांक 04.01.2012 को घटनास्थल चांदनी चौक जाकर गवाह रूपसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा गवाह ताराचंद पटले, अजय राहंगडाले के समक्ष मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.ई.1031 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा गवाह रूपसिंह टेकाम, दुर्गासिंह, शंकर, सुशील के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। प्रकरण की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्रधान आरक्षक अशोक राणा को दी गई, जिनके हस्ताक्षर से वह साथ में कार्य करने के कारण परिचित है।
- 14— साक्षी आर.एस. सिंगरोरे अ.सा.04 के अनुसार अशोक राणा प्रधान आरक्षक दिनांक 07.01.2012 को आरोपी गिरमेश पटले को गवाह मनोज एवं सालिकराम के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर अशोक राणा के हस्ताक्षर है। अशोक राणा द्वारा दिनांक 13.01.2012 को गवाह पन्नालाल के कथन उसके बताये अनुसार लेख किये गये थे। दिनांक 06.01.2012 को प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी. 50.एम.ई.1031 का परीक्षण वाहन परीक्षणकर्ता अब्दुल नशीम से कराया गया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन परीक्षणकर्ता अब्दुल नशीम के हस्ताक्षर है। आरोपी के पास लायसेंस न होने से प्रकरण में मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181 का ईजाफा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 15— साक्षी आर.एस. सिंगरोरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मोटर सायिकल कमांक एम.पी. 50एम.ई.1031 को चालक गिरमेश द्वारा चलाये जाने की बात अस्पताल जांच कथन में आने के बाद लिखा गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटनास्थल का मौका—नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया गया है। साक्षी के अनुसार गवाह रूपिसंह के बताये अनुसार घटनास्थल पर बनाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर बनाये गये मौका—नक्शे में दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी के अनुसार संकेत में दर्शाया गया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार की गई थी, उसने वाहन परीक्षण रिपोर्ट थाने में बैठकर झूठे आधार पर तैयार किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना के एक दिन बाद उसने साक्षी रूपिसंह, दुर्गासिंह, सुशील एवं शंकर के कथन लिया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्रकरण में गवाहों के कथन दो—तीन दिन बाद लिये गये थे।
- 16— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गित से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी—अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गित से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है।
- 17— साक्षी पन्नालाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दोनों अपने—अपने साईड से जा रहे थे। साक्षी रूपिसंह अ.सा.01 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि रास्ते में तालाब के पास मोड़ है, जिससे अनबेलेंश होकर गिर गये थे तथा आरोपी भी अनबेलेंश होकर गिर गया था

तथा पुलिस ने मौका—नक्शा तैयार किया था और उसे हस्ताक्षर करने कहा गया तो उसने हस्ताक्षर कर दिया था। सायिकल पर सवार आहत पन्नालाल अ.सा. 02 तथा साक्षी रूपिसंह अ.सा.01 ने विरोधाभासी कथन किये हैं। डॉ० साक्षी एम० मेश्राम अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उपरोक्त चोटें कड़े एवं खुरदुरे वस्तु पर गिरने से आ सकती है। इसके अतिरिक्त साक्षी दुर्गासिंह अ.सा.03 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढ़ंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजिनक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आहत पन्नालाल को टक्कर मारकर उपहित कारित किया। फलतः अभियुक्त गिरमेश उर्फ गिरवेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

# विचारणीय बिन्दू कमांक 03 का निष्कर्ष:-

विवेचक साक्षी आर.एस. सिंगरोरे अ.सा.04 के अनुसार विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी के पास लायसेंस न होने से उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा—3/181 का ईजाफा किया गया था। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये है कि घटना के समय उसके पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया गया। फलतः अभियुक्त गिरमेश उर्फ गिरवेश को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

फाईलिंग क.23450300652012

- 19— अभियुक्त के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उसके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।
- 20— अतः अभियुक्त को मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181 के अपराध के लिए 500/—(पाच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 21— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे है। उक्त संबंध में धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 22— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 23— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायिकल क्रमांक एम.पी.50एम.ई. 1031 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अविध के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 24— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

Alex Par

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

सहा / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)